न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 226/2020
3. उनवान : सरकार जरिये श्री अरविन्द सिंह, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

श्री अयूब पुत्र श्री बाबू खान निवासी मकान नम्बर 346, गली नं. 1, गोड विप्र स्कूल के पीछे, जालुपुरा जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 07.06.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री गोपेश शर्मा अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर प्रथम श्री अरविन्द सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 01.12.2019 को मय जांच दल के घरेलू मकान नम्बर 346, गली नं. 1, गोड विप्र स्कूल के पीछे, जालुपुरा जयपुर पर पंहुच कर जांच की गई। मौके पर श्री अयूब खान उपस्थित मिले जिन्होंने दुकान को अपने पिता बाबू खान की होना बताया। मकान की जांच करने पर मकान के नीचे के तल पर बने एक कमरे में 11 घरेलू सिलेण्डर (6आईओसी+4बीपीसी+1एचपीसी) पाये गये। मौके पर अप्रार्थी ने सिलेण्डर के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये ना ही उनके संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा 11 घरेलू सिलेण्डर (6आईओसी+4बीपीसी+1एचपीसी) मय 9.500 किग्रा. जब्त कर फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 07.06.2024 अधिवक्ता श्री गोपेश शर्मा ने उपस्थिति दी। अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर कथन किया है कि उक्त प्रकरण जब्त घरेलू सिलेण्डर अप्रार्थी के नहीं है। अप्रार्थी का उक्त सिलेण्डरों से कोई सरोकार नहीं है। माननीय न्यायालय उक्त सिलेण्डरों के जब्ती के आदेश देता है तो अप्रार्थी को कोई एतराज नहीं है। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 03.12.2019 को जब्त घरेलू सिलेण्डर अवैध रुप से मकान में रखे हुए थे। अप्रार्थी ने जब्त सिलेण्डरों से संबधित कोई भी दस्तावेज मौके पर पेश नहीं किये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण, उनके अवैध उपयोग की ओर इंगित करता है। प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अतः उक्त कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में फर्दानुसार प्रार्थी द्वारा जब्त 11 घरेलू सिलेण्डर (6आईओसी+4बीपीसी+1एचपीसी) मय 9.500 किग्रा. को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
अतिरिक्त कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate • JAIPUR •